क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मिश्रीगिरी वगैरा बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 57/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 57/2022 मिश्रीगिरी वगैरा बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम काकाणी पटवार मण्डल काकाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 259, 260 मे प्रार्थीगण के पिता सोमगिरी पुत्र नैनगिरी का नाम जमाबन्दी सवंत 2073 से 2076 से हटाया गया है उसे राजस्व रेकार्ड मे त्रुटि सुधार कर पुन जोडा जाकर राजस्व रेकर्ड मे शुद्दि की जावे तथा त्रुटिवश मृतक खातेदार मृतक प्रसन्नगिरी पत्नी धनगिरी का नाम भी राजस्व रेकार्ड मे जमाबन्दी से हटाये जाने का निवेदन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमे तहसीलदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ) लूणी के पत्र कमाक/भू.अ/2023/28 दिनाक 04.01.2023 के तहत जबाव/ जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार लूणी द्वारा.सरहद मौजा ग्राम काकाणी पटवार मण्डल काकाणी तहसील लूणी मे ग्राम काकाणी की जमाबन्दी संवत 2069–2072 मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 1528 बैचान से धनगिरी केसूगिरी सोमगिरी पि0 नेनुगिरी के हिस्से मे 01.08.00 बीधा भूमि शेष है जबकि धनगिरी के वारिसान द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1581 बेचान द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि 0.09.07 बीधा का बैचान जोगली देवी व भुण्डीदेवी को बेचान करने का इन्द्राज हुआ जमाबन्दी संवत 2073–2076 मे सेवन से ग्राम काकाणी के खसरा नम्बर 259 260 कुल रकबा 95.14 बीधा मे से 1.08 बीधा मे 1/3 हिस्सा सोमगिरी पि0नेनगिरी का बनता है जो कि इन्द्राज होने से छूट गया तहसीलदार लूणी कि रिपोर्ट मे अनुशषा की गई है। अत– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम काकाणी पटवार मण्डल काकाणी तहसील लूणी मे प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 259, 260 मे प्रार्थीगण के पिता सोमगिरी पुत्र नैनगिरी का नाम जमाबन्दी सवंत 2073 से 2076 मे तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार सेवन से छूट गया जिसे पुनःराजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जाना उचित होने से खातेदार प्रसन्नगिरी पत्नी धनगिरी के स्थान पर सोमगिरी पि0 नैनगिरी का नाम ग्राम काकाणी के खसरा नम्बर 259/5 रकबा 0.08 बीधा मे इन्द्राज करे। एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत जबाव आदेश का अंग समझा जावे आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। (पुखराज कांसोटिया)RAS उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	